(27)

Legal Note on MFP

कार्यालय म.प्र.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित,
खेल परिसर, इन्दिरा निकुंज नर्सरी, 74 बंगले, भोपाल
फोन : (0755) 2674202,2674349 फैक्स : (0755) 2552628
Website: www.mfpfederation.com , Email: mdmfpfed@sancharnet.in

---

क्रमांक / वनो. / संघ / अधीक्षक / 13 / 9817 भोपाल, दिनांक 26.08.2013

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
शाखा–वन भू अभिलेख,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के नियम 9 अंतर्गत गठित राज्य स्तर की निगरानी समिति को बैठक दिनांक 13.08.2013.

संदर्भः– आपकी टीप क्रमांक अ.प्र.मु.व.स. (वन भू.अभि.) 253 दिनांक 16.08.2013.

---00---

कृपया संदर्भित टीप का अवलोकन कीजिए। विषय से संबंधित टीप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल को इस कार्यालय द्वारा यू.ओ. क्रमांक 9679 दिनांक 16.08.2013 को भेजी जा चुकी है। छायाप्रति पुनः संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार!

26/8/13
अपर प्रबंध संचालक (व्या.)
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल

02/09/13
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
शाखा–वन भू अभिलेख
भोपाल, मध्यप्रदेश
27-8-13

26/8/13

1614
02/09/13

D:\KISHORE\TRADE\KISHORE\Salbeej\Letter New.doc247

विषयः— मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अंतर्गत सालबीज एवं कुल्लू गोंद का संग्रहण ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री जे.पी. शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू अभिलेख) द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि सालबीज एवं कुल्लू गोंद के संग्रहण की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने हेतु औचित्य सम्बन्धी टीप प्रमुख सचिव, वन द्वारा आज ही चाही गई है । उल्लेखनीय है कि संघ द्वारा संग्रहित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट वनोपजों के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के संबंध में टीप पूर्व में भेजी जा चुकी है । तदनुसार ही सालबीज एवं कुल्लू गोंद संग्रहण के संबंध में टीप प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजने हेतु प्रस्तुत है ।

16/8/17

(एल.आर.बुरडक)

अपर प्रबन्ध संचालक(व्यापार)

प्रबन्ध संचालक

16/8

O/C